7/5/17

[signature]

राजेन्द्र कुमार (छापना)

पत्रावली कोर्ट कैम्प ग्राम आपके द्वार-2017 कोर्ट कैम्प सुवाणा में दिनांक 17.5.17 को प्रस्तुत हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण एवं उनके अभिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18-7-2016 की पालना में तहसीलदार भीलवाड़ा ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार।—

1. वादीगण राजकुमार पिता रामप्रसाद अग्रवाल निवासी भदादा मोहल्ला, राजेन्द्र कुमार पिता रतन लाल छापरा निवासी जैन सिंह कोलोनी भीलवाड़ा के हिस्से में 19/198 निम्न आ० नं. रकबा रहेगा

आ० नं.	रकबा
21/1	0-14
20/1	0-05
कुल किता 2	0-19 बिस्वा

2. हीरालाल, रामचन्द्र पिता नन्दा, गीता, चांदी पुत्री नन्दा जाट के हिस्से में निम्न आ० नं. व रकबा रहेगा

आ० नं.	रकबा
21	3-18

3. फतेह मोहम्मद, रफी मोहम्मद पिता अलाउद्दीन मंसूरी मुसलमान 23/198 नि० सांगानेर, गुलामरसूल पिता जमाल 39/198,
तालिब ~~[illegible]~~ हुसैन, मौहम्मद आरीफ, सरवावत हुसैन, जमील हुसैन पिता जहरुदीन, जैतुन बेगम पत्नि जहरुदीन, रवसील आबिद हुसैन पिता सुभान हुसैन, जमीला, आबिदा, राबिया पुत्री सुभान, सुभानी उर्फ गफुरन पत्नि सुभान, रमजानी, गुलाम रसूल पिता जमाल 39/198 मुसलमान साकिन सांगानेर के हिस्से में विभाजन खा० नं. व रकबा रहेगा।-

खा० नं.	रकबा
18	1-11
20	3-10
कुल किता-2	5-01

विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17,18 ने मौके पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी 1 से लगायत 15 मौके पर उपस्थित नही हुए। प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार उपरोक्तानुसार विभाजन कि अन्तिम डिक्री जारि करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व नक्शा इस डिक्री का पार्ट रहेगा। राजस्व रेकार्ड मे अंकित रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे अमल-दरामद करने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश जारि किये जावे। प्रकरण में अन्तिम डिक्री तरतीब की जाकर प्रकरण बाद तामील नियत शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] भीलवा[illegible]
पदेन सहा[illegible]

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
केम्प कोर्ट – सुवाणा
पीठासीन अधिकारी:–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर0ए0एस0

उनवान

1. श्री राजकुमार पिता रामप्रसाद अग्रवाल, निवासी–मदादा मोहल्ला, शहीद चौक, सांगानेरी गेट,भीलवाड़ा।
2. श्री राजेन्द्र कुमार पिता रतनलाल बापना, निवासी–जैन सिद्ध कॉलोनी, भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. श्री तामील हुसैन पिता जहरूदीन मुसलमान, निवासी–गंगा चौक, सांगानेर, भीलवाड़ा।
2. श्री मोहम्मद आरिफ पिता जहरूदीन मुसलमान, निवासी–गंगा चौक, सांगानेर, भीलवाड़ा।
3. श्री सखावत हुसैन पिता जहरूदीन मुसलमान, निवासी–गंगा चौक, सांगानेर, भीलवाड़ा।
4. श्री जमील हुसैन पिता जहरूदीन मुसलमान, निवासी–गंगा चौक, सांगानेर, भीलवाड़ा।
5. मु. जैतुन पत्नि जहरूदीन मुसलमान, निवासी–गंगा चौक, सांगानेर, भीलवाड़ा।
6. श्री खलील पिता सुबान हुसैन, निवासी–जुलाहा का मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
7. श्री आबिद हुसैन पिता पिता सुबान हुसैन, निवासी–जुलाहा का मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
8. मु. जमीला पुत्री पिता सुबान पत्नि अब्दुल सतार अंसारी, निवासी–मोमीना मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
9. मु. आशिया पुत्री सुबान पत्नि फखरूदीन अंसारी, निवासी–मोमीन मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
10. मु. राबिया पुत्री सुबान पत्नि रहीस अहमद अंसारी, निवासी–कुम्हारों का मोहल्ला, सब्जी मण्डी के पास, माण्डल, तहसील–माण्डल, जिला–भीलवाड़ा।
11. मु. सुबानी उर्फ गफूरन पत्नि सुबान मुसलमान, निवासी–जुलाहा मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
12. श्री रमजानी पुत्र जमाल मुसलमान, निवासी–जुलाहा मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
13. श्री गुलाम रसूल पुत्र जमाल मुसलमान, निवासी–जुलाहा मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
14. श्री फतह मोहम्मद पुत्र अलादीन मंसूरी मुसलमान, निवासी–कल्फी मोहल्ला, सांगानेर, भीलवाड़ा।
15. श्री शफी मोहम्मद पिता अलादीन मंसूरी मुसलमान, निवासी–शाहपुरा रोड़, सांगानेर, भीलवाड़ा।
16. श्रीमती गौरी बेवा नन्दा जाट, निवासी–महादेव मंदिर के पास, सुवाणा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
17. श्री हीरालाल पिता नन्दा जाट, निवासी–महादेव मंदिर के पास, सुवाणा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
18. श्री रामचन्द्र पिता नन्दा जाट, निवासी–महादेव मंदिर के पास, सुवाणा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत– वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 –54 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर :– 207/2011
निर्णय दिनांक :– 17.05.2017

वादीगण उपस्थिति। प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। इस वाद में आज तारीख 17.05.2017 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने से अन्तिम डिक्री निम्नानुसार ग्राम सुवाणा की आराजियात की जारी की जाती है:–

1– वादीगण श्री राजकुमार पिता राम प्रसाद अग्रवाल निवासी–मदादा मोहल्ला, श्री राजेन्द्र कुमार पिता रतन लाल बापना निवासी–जैन सिद्ध कॉलोनी भीलवाड़ा का हिस्सा 19/198, निम्न आराजी नं. व रकबा रहेगा–

आराजी नं.	रकबा
21/1	00–14
20/1	00–05
कुल किता दो	00–19 बीघा

2— श्री हीरालाल, रामचन्द्र पिता नन्दा, गीता, चांदी पुत्री नन्दा जाट के हिस्से में आराजी नं. व रकबा रहेगा —

आराजी नं.	रकबा
21	03—18
कुल किता एक	03—18 बीघा

3— फतेह मोहम्मद, शफी मोहम्मद पिता अलाद्दीन मंसूरी मुसलमान 23/198 निवासी—सांगानेर, गुलाम रसूल पिता जमाल 39/198, तालिब हुसैन, मौहम्मद आरीफ, सखावत हुसैन, जमीर हुसैन पिता जहरूद्दीन, जैतुन बैगम पत्नि जरूद्दीन, खलील, आबिद हुसैन पिता सुबान, सुबानी उर्फ गफुरन पत्नि सुबान, रमजानी, गुलाम रसूल पिता जमाल 39/198 मुसलमान साकिन सांगानेर के हिस्से में विभाजन आराजी नं. व रकबा रहेगा :—

आराजी नं.	रकबा
18	01—11
20	03—10
कुल किता दो	05—01 बीघा

तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार अन्तिम डिकी का राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में अमल दरामद करे। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व नक्शा ट्रेस डिकी का पार्ट रहेगा। राजस्व रेकार्ड में जिस खातेदार के नाम दर्ज रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा।

यह आज तारीख 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा